बाल सुरक्षा पोर्टल

स्रोत: पी. आई. बी

हाल ही में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान **ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और GHAR-गो होम और री-यूनाइट पोर्टल** पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान की।

- **ट्रैक चाइल्ड पोर्टल** विभिन्न हितधारकों द्वारा समर्थित, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लापता तथा पाए गए बच्चों पर नज़र रखने में सक्षम बनाता है।
  - **"खोया-पाया"** सुविधा नागरिकों को लापता या देखे गए बच्चों की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है, जिससे सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
- इसे **गृह मंत्रालय** के **अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग तथा नेटवर्क सिस्टम** के साथ भी एकीकृत किया गया है, जो लापता बच्चों की एफ.आई.आर. से मिलान करने के संदर्भ में अंतरसंचालनीयता की अनुमति देता है।
- इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने **GHAR – गो होम एंड री-यूनाइट (बच्चे का उद्धार और घर वापसी के लिये पोर्टल)** नामक एक पोर्टल विकसित तथा शुरू किया है। GHAR पोर्टल को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) कानून, 2015 और उसके नियमों के तहत प्रोटोकॉल के अनुसार बच्चों के उद्धार तथा घर वापसी की डिजिटल निगरानी एवं पता लगाने हेतु विकसित किया गया है।

और पढ़ें: सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रेन

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/child-safety-portals